

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1— परियोजना/स्कीम का नाम

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

- i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- ii. ज़िला
- iii. वन प्रभाग
- iv. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)
- v. वन की कानूनी स्थिति
- vi. हरियाली का धनत्व
- vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० आर० एल०, एफ० आर० एल०-२ मीटर की परिणामना और एफ० आर० एल०-४ मीटर भी संलग्न किये जाये।
- viii. भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी।
- ix. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व वाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया अनुबन्धित की जाये।)
- xi. क्या क्षेत्र में वनरप्ति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती है यदि हाँ तो ब्यौरा दे।
- xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।

2— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार प्रस्तुत क्षेत्र क्या है।

3— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

उ0प्र० एक्सप्रेसवेज इन्डिस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत गगा एक्सप्रेसवेज के निर्माण के लिये वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत तहसील तिलहर जलालाबाद व सदर की (248.600 से 255.167) तक कुल प्रभावित 3.907 हैं संरक्षित वन भूमि एवं प्रकरण में प्रभावित 865 वृक्षों के पातन हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

उ0प्र०।

शाहजहांपुर।

3.907 हैं।

संरक्षित वन।

0.3

वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।

भू-क्षरण से प्रस्तावित नहीं है।

संरक्षित वन सीमा के अन्दर।

नहीं।

नहीं।

नहीं।

हाँ।

लागू नहीं है।

4-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण रक्कीम का ब्लॉच
क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र अस स के लिये अभिनिधारित वनेतर दूसी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मूँ-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेतर/अवकाशित वन क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता है।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्फीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत दाचा आदि।

प्रतिपूरक वनीकरण रक्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्याय।

- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

जिला वन संरक्षक की ख्यल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पृष्ठे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (सलन करें)

vi. विभाग/जिला प्रोफ़इल

i. जिले का भौगोलिक क्षेत्र

ii. जिले का वन क्षेत्र

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क)- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख)- वनेतर भूमि पर

v. तक प्रतिपूरक वनीकरण में, हुयी प्रगति

(क)- वन भूमि पर

(ख)- वनेतर भूमि पर

7- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

वृक्षों का प्रतान प्रस्तावित नहीं है। अतः सूचना रिवर है।

रु0/- .00 का प्रावधान सलन है।
क्षेत्र प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र सलन है।

5- जिला वन संरक्षक की ख्यल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पृष्ठे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (सलन करें)

रु0/- .00 का प्रावधान सलन है।
क्षेत्र प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र सलन है।रु0/- .00 का प्रावधान सलन है।
क्षेत्र प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र सलन है।

तिथि : 23/11/2021

स्थान : शाहजहांपुर।



(संजीव कुमार)
प्रशासनीय वनीकरण संस्कारक
वन विवरण विवरण संस्कारक
समिति की जाती है।